

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-02-05/2019(स्वा०) / पटना, दिनांक:-.....

डा० शैलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया के विरुद्ध दिनांक-01.06.2016 से लगातार कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-230(9) दिनांक-31.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोपो को प्रमाणित नहीं होने का मतव्य दिया गया।

3. विभागीय पत्रांक-90(9) दिनांक-16.01.2020 के आलोक में सिविल सर्जन, गया के पत्रांक-840 दिनांक-22.02.2020 द्वारा प्रतिवेदित है कि डा० शैलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी दिनांक-10.06.2016 से नियमित रूप से जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया में कर्तव्य पर उपस्थित है।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) एवं सिविल सर्जन, गया के पत्रांक-840 दिनांक-22.02.2020 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डा० शैलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा० शैलेश कुमार चिकित्सा पदाधिकारी, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया को दिनांक-01.06.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया है।

6. अतएव डा० शैलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया के विरुद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-02-05/2019(स्वा०) 232(9) / पटना, दिनांक:-13.3.25

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा० विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमंडल, गया/प्राचार्य/अधीक्षक, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया/सिविल सर्जन, गया/डा० शैलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आईटी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/03/2025
सरकार के अवर सचिव।